न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 173/2023

1 रामूराम पुत्र महादेव
2 हरीशंकर पुत्र जगदीश
3 शंकरलाल पुत्र जगदीश
4 श्रवण पुत्र जगदीश
5 धर्मेन्द्र पुत्र जगदीश
समस्त जाति जाट निवासी मोहल्ला चौधरी तन अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।

अपीलांट

बनाम

1 अनिल पुत्र सरदार सिंह
2 जितेन्द्र पुत्र सरदार सिंह
3 धर्मपाल पुत्र सरदार सिंह
4 सुनिता पुत्र सरदार सिंह
5 सुशीला पुत्री सरदार सिंह
6 ज्योति पुत्री सरदार सिंह
7 कमला देवी स्त्री सरदार सिंह
8 सुलतानसिंह पुत्र मुरलीराम
9 गोपाल पुत्र मुरलीराम
10 बाबुलाल पुत्र मुरलीराम
11 राजेश पुत्र मुरलीराम
समस्त जाति जाट निवासी मोहल्ला चौधरी तन अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 मुरली देवी उर्फ मन्नी देवी पत्नी जगदीश (फोत)
12/1 सुमित्रा देवी पुत्री मुरलीदेवी उर्फ मन्नी देवी
12/2 कमली देवी पुत्री मुरली देवी उर्फ मन्नी देवी
समस्त जाति जाट निवासी मोहल्ला चौधरी तन अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।
13 पटवारी हल्का अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।
14 उप पंजीयक पंजीयन अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।
15 राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2023 न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना बसिलसिले दावा अनुवानी अनिल आदि बनाम रामूराम वगैरह दावा संख्या 48/2019 जीसीएमएस नम्बर 2019/0009 अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 11.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 48/2019 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 11 ने विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रेक) श्रीमाधोपुर के यहां एक दावा अपीलान्टान व रेस्पोडेन्टान संख्या 12 ता 15 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 975 रकबा 42 बीघा 17 बिश्वा, 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिश्वा कुला किता 2 कुल रकबा 60 बीघा ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर स्थित थी जिसकी पूर्व खातेदारी दुलाराम पुत्र रूघनाथ के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है दुला ने अपनी खातेदारी की भूमि गत खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिश्वा जरिये विक्रय विलेख भैरूलाल पुत्र घासीराम हिस्सा 1/3 व जगदीश व रामू पुत्रगण महादेव हिस्सा 2/3 दिनांक 14.05.1984 को विक्रय कर क्रेतागण को कब्जा संभाल दिया व गत खसरा नम्बर 975 रकबा 42 बीघा 17 बिश्वा पर दुलाराम काबिज रहा। भैरूलाल पुत्र घासीराम व जगदीश, रामू पिसरान महादेव ने अपने आपको नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलकर, खसरा नम्बर 2102 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 2103 रकबा 4.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2104 रकबा 0.05 हैक्टेयर किता 3 रकबा 4.58 हैक्टेयर को गत खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिश्वा से बनना बताते हुये सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को उपरोक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम करवाली जो कि गलत है क्यों कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को बिना सक्षम न्यायालय की आज्ञा के खातेदारी दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था इसके अलावा क्रेतागण ने गत खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिश्वा खरीद की थी जबकि हाल खसरा नम्बर 2102, 2103 व 2104 का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रकबा 4.58 हैक्टेयर की खातेदारी दी है जो साबिक के मुकाबले 0.30 हैक्टेयर अधिक है ए एस ओ खरीदशुदा भूमि से अधिक खातेदारी देने का अधिकार नहीं था। वादीगण ने अपने दावे में इस्तदुआ चाही कि आराजी हाल खसरा नम्बर 2103/1 रकबा 2.9880 में से पश्चिम साईड की 0.30 हैक्टेयर भूमि ग्राम अजीतगढ़ के 1/5 भाग का वादीगण संख्या 1 ता 7 को व 4/5 भाग का वादीगण संख्या 8 ता 11 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें जिसका हाल राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करवाया जाकर उपरोक्त 0.30 हैक्टेयर की प्रतिवादीगण के नाम दर्ज खातेदारी हज्फ फरमाई जावे व स्थगन आदेश प्राप्त करने की इस्तदुआ की वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का अपीलान्टान व रेस्पोडेन्टान संख्या 12/1 व 12/2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वाद व जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 की और से एक प्रार्थना पत्र आदेश 12 नियम 6 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब प्रस्तुत होने के बाद बहस सुनी जाकर विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 11 को आराजी खसरा नम्बर 2103/1 कुल रकबा 2.9880 में से 0.25 हैक्टेयर भूमि (खसरा नम्बर 2100 व 2101 के बीच की) का वादीगण को खातेदार घोषित कर वादीगण का सर्वथा गलत व विरूद्ध कानून दिनांक 29.09.2023 को डिकी कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 11 द्वारा प्रस्तुत दावे का अपीलान्टान द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई कानूनन तनकीयात कायम करने के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली जाकर प्रत्येक तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था लेकिन विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम किए जाने के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बावजूद भी प्रत्येक तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया। वादीगण/रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 11 के दावे के तथ्यों व दावे में चाही गइ सहायता के भिन्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी के तथ्य अलग होते हुये भी सरसरी तौर पर बिना किसी आधार के निर्णय पारित किया। आराजी गत खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिश्वा के नये खसरा नम्बरान 2099, 2100 लगायत 2105 व 2110 तथा 2098 बने है जिनकी पुष्टि खसरा मिलान क्षेत्रफल से बखुबी साबित है व उपरोक्त खसरा नम्बर गत खसरा नम्बर 975 से कतई नही बने है और न ही इस संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 ने कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत किया है फिर भी विचारण न्यायालयय ने खसरा नम्बर 975 के उक्त खसरा नम्बर बनना मानकर आदेश पारित किया है। आराजी खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिश्वा के हैक्टेयर में रकबा 4.34 हैक्टेयर होता है जबकि विचारण न्यायालय ने 17 बीघा 3 बिश्वा का हैक्टेयर में रकबा 4.28 हैक्टेयर मानकर 0.25 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 की खातेदारी में दर्ज करने की आज्ञा देने में कानूनी गलती की है। वर्तमान खसरा नम्बर 2103/1 रकबा 2.9880 हैक्टेयर के पश्चिम की और खसरा नम्बर 2100 व 2101 के बीच 0.30 हैक्टेयर भूमि पर रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 11 का न तो कोई कब्जा है और न ही उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के वादीगण/रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 11 अधिकारी है। अपीलान्टान विचारण न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होते थे एवं उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ही पैरवी किया करते थे निर्णय व डिक्री जेर अपील पारित होने की कोई सूचना अपीलान्टान को नहीं दी गई अपीलान्ट हरिशंकर दिनांक 13.12.2023 को अपने वकील से मिलने गया व अपने मुकदमें की कार्यवाही के बारे में जानकारी चाह तो वकील अपीलान्टान ने बताया कि आपका दावा दिनांक 29.09.2023 को निर्णित कर दिया गया व मैंने इसकी सूचना आपको जरिये पत्र दी थी सम्भवतः पत्र आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। अपीलान्टान को निर्णय व डिक्री जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.12.2023 को हुई इसके

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पूर्व अपीलान्टान को निर्णय जेर अपील की कोई जानकारी नहीं हुई जानकारी के रोज से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपीलान्टान के हितो की रक्षा के लिए व न्याय व सही निर्णय के लिए अपीलान्टस को मियाद का फायदा दिया जाना आवश्यक है जिसके लिये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी सपठित धारा 151 प्रस्तुत कर कथन किया है कि पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिश्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख वादीगण के पूर्वज खातेदार दूलाराम पुत्र रूघाराम द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वज भैरूलाल पुत्र घासीराम हिस्सा 1/3 व जगदीश व रामू पुत्र महादेव हिस्सा 2/3 को दिनांक 14.05. 1984 को विक्रय किया गया था। जिसकी खातेदारी केतागण द्वारा दौराने सैटलमेंट कार्यवाही सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर के समक्ष प्रकरण पेश कर बाद जॉच केतागण के पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 के नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 2103 रकबा 4.52 हैक्टेयर, 2104 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.58 हैक्टेयर जॉच में बनना पाये जाने पर इसकी खातेदारी केतागण भैरूलाल पुत्र घासीराम, जगदीश व रामू पुत्र महादेव के नाम खातेदारी दर्ज की गई। जो मिसल संख्या 163/84 के तहत निर्णित किया गया। जिसमें रकबे को 17 बीघा 3 बिश्वा का रकबा 4. 28 हैक्टेयर बनता है के बजाय रकबा 4.58 हैक्टेयर बना दिया गया। जो कि 0.30 हैक्टैयर पश्चिमी तरफ की (खसरा नम्बर 2100 व 2101 के बीच की) भूमि वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण के नाम अधिक गलत दर्ज करदी गई। जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 2103 के बट्टा नम्बर 2103/1 रकबा 2.9880 हैक्टेयर व 2103/2 रकबा 0.2340 हैक्टेयर व 2103/3 रकबा 1. 2980 हैक्टेयर बनाये गये। जिसमें से वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 2103/1 रकबा 2.9880 हैक्टेयर में से 0.30 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ की (खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2100 व 2101 के बीच की) भूमि वादीगण की प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज की गई है जो राजस्व रिकार्ड से सिद्ध है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पूर्वजों से ही भूमि क्रय की गई है। इसलिए क्रेतागण अपने क्रयशुदा अधिकार क्षेत्र से अधिक भूमि प्राप्त करने का किसी भी सूरत में अधिकारी नहीं है। सैटलमेंट की कार्यवाही के दौरान जो मिलान क्षेत्रफल बनाया गया उसमें 976/2 के उपरोक्त खसरा नम्बरों 2102, 2103, 2104 के अलावा अन्य नवीन खसरा नम्बर 2099, 2100, 2101, 2105, 2110 गलत दर्ज कर दिये गये जबकि उक्त भूमि खसरा नम्बर पुराने 975 से बने है। जो भू–प्रबन्ध विभाग सीकर की मिसल संख्या 163/84 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.1984 की पालना में बनाये गये है। जो कि गलत होने पर दुरूस्तीय योग्य है तथा उक्त वादपत्र के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 व 6/1, 6/2 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के विशेष विवरण के खण्ड संख्या 2 में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती से प्रतिवादीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2103 का रकबा 3.64 हैक्टेयर के स्थान पर 4.52 हैक्टेयर दर्ज करने की स्वीकारोक्ती की है। जिसे वादीगण द्वारा उक्त बढ़ी हुई भूमि नवीन खसरा नम्बर 2103/1 रकबा 2.9880 हैक्टेयर में से पश्चिमी तरफ की 0.30 हैक्टेयर भूमि (खसरा नम्बर 2100 व 2101 के बीच की) भूमि बाबत अनुतोष चाहे जाने से उक्त 0. 30 हैक्टेयर भूमि को प्रतिवादीगण के हिस्से से कम की जाकर वादीगण के नाम उद्घोषणा जारी किये जाने हेतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णित करते हुए स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी सपठित धारा 151 प्रस्तुत कर कथन किया है कि पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रकबा 17 बीघा 3 बिश्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख वादीगण के पूर्वज खातेदार दूलाराम पुत्र रूघाराम द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वज भैरूलाल पुत्र घासीराम हिस्सा 1/3 व जगदीश व रामू पुत्र महादेव हिस्सा 2/3 को दिनांक 14.05.1984 को विक्रय किया गया था। जिसकी खातेदारी केतागण द्वारा दौराने सैटलमेंट कार्यवाही सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर के समक्ष प्रकरण पेश कर बाद जॉच केतागण के पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 के नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 2103 रकबा 4.52 हैक्टेयर, 2104 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.58 हैक्टेयर जॉच में बनना पाये जाने पर इसकी खातेदारी केतागण भैरूलाल पुत्र घासीराम, जगदीश व रामू पुत्र महादेव के नाम खातेदारी दर्ज की गई। जो मिसल संख्या 163/84 के तहत निर्णित किया गया। जिसमें रकबे को 17 बीघा 3 बिश्वा का रकबा 4.28 हैक्टेयर बनता है के बजाय रकबा 4.58 हैक्टेयर बना दिया गया। जो कि 0.30 हैक्टैयर पश्चिमी तरफ की (खसरा नम्बर 2100 व 2101 के बीच की) भूमि वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण के नाम अधिक गलत दर्ज करदी गई। जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 2103 के बट्टा नम्बर 2103/1 रकबा 2.9880 हैक्टेयर व 2103/2 रकबा 0.2340 हैक्टेयर व 2103/3 रकबा 1.2980 हैक्टेयर बनाये गये। जिसमें से वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 2103/1 रकबा 2.9880 हैक्टेयर में से 0.30 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ की (खसरा नम्बर 2100 व 2101 के बीच की) भूमि वादीगण की प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज की गई है जो राजस्व रिकार्ड से सिद्ध है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पूर्वजों से ही भूमि क्रय की गई है। इसलिए केतागण अपने क्रयशुदा अधिकार क्षेत्र से अधिक भूमि प्राप्त करने का किसी भी सूरत में अधिकारी नहीं है। सैटलमेंट की कार्यवाही के दौरान जो मिलान क्षेत्रफल बनाया गया उसमें 976/2 के उपरोक्त खसरा नम्बरों 2102, 2103, 2104 के अलावा अन्य नवीन खसरा नम्बर 2099, 2100, 2101, 2105, 2110 गलत दर्ज कर दिये गये जबकि उक्त भूमि खसरा नम्बर पुराने 975 से बने है। जो भू–प्रबन्ध विभाग सीकर की मिसल संख्या 163/84 में पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय दिनांक 22.08.1984 की पालना में बनाये गये है। जो कि गलत होने पर दुरूस्तीय योग्य है तथा उक्त वादपत्र के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 व 6/1, 6/2 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के विशेष विवरण के खण्ड संख्या 2 में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती से प्रतिवादीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2103 का रकबा 3.64 हैक्टेयर के स्थान पर 4.52 हैक्टेयर दर्ज करने की स्वीकारोक्ती की है। जिसे वादीगण द्वारा उक्त बढ़ी हुई भूमि नवीन खसरा नम्बर 2103/1 रकबा 2.9880 हैक्टेयर में से पश्चिमी तरफ की 0.30 हैक्टेयर भूमि (खसरा नम्बर 2100 व 2101 के बीच की) भूमि बाबत अनुतोष चाहे जाने से उक्त 0.30 हैक्टेयर भूमि को प्रतिवादीगण के हिस्से से कम की जाकर वादीगण के नाम उद्घोषणा जारी किये जाने हेतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णित करते हुए स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर